



समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लॉट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website : www.samtaandolan.co.in

Email : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन

संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह

संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा

संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी

सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा

अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरडिया

महासचिव, मो. 094140-58289

ललित चाचाण

कोषाध्यक्ष, मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं

पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर

ऋषिराज राठौड़

मो. 9694348039

अजमेर

एन. के. झामड़

मो. 9414008416

बीकानेर

वाई. के. योगी

मो. 9414139621

भरतपुर

हेमराज गौयल

मो. 9460926850

जायपुर

प्रहलाद सिंह राठौड़

मो. 9414085447

कोटा

डॉ. अनिल शर्मा

मो. 9414662244

उदयपुर

दुल्हा सिंह चूण्डावत

मो. 9571875488

क्रमांक 51818

दिनांक : 26.08.2020

श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी,

तपस्वी प्रधानमंत्री,

भारत सरकार, नई-दिल्ली-110001

★ महिला समानता दिवस की बधाई ★

विषय:- महिला सशक्तिकरण करने के लिए आधी दरों में एक करोड़ से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ:- महिला समानता दिवस दिनांक 26 अगस्त, 2020 के उपलब्ध में "महाराणी लक्ष्मीबाई कामकाजी महिला सशक्तिकरण योजना" का प्रस्ताव।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि आज महिला समानता दिवस के अवसर पर समता आन्दोलन के द्वारा आपसे कामकाजी महिलाओं की दुर्दशा सुधारने और उनकी कार्य कुशलता बढ़ाने में मदद करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। आप यह भलीभाँति जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में आज भी पुरुष-प्रधान समाज है। इसी कारण कामकाजी महिलाओं से उनके कार्यालयिक कार्य के अलावा प्रत्येक घर में घरेलू कार्य की भी अपेक्षा की जाती है। परिणामतः लगभग सभी कामकाजी महिलाएं अतिरिक्त दबाव, तनाव और थकान भरा जीवन जीने को मजबूर होती हैं। लगातार दबाव, तनाव, थकान की जिन्दगी में माँ, पत्नी, बहू, बेटी और बहन की जिम्मेदारी निभाते हुए कामकाजी महिलाएं आमतौर पर रक्तचाप, सुगर, हार्ट, कमरदर्द, घुटनादर्द, डिप्रेशन आदि अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं। इन सभी का दुष्प्रभाव सामान्यतया घरेलू झगड़ों, वाद-विवाद, परिवारों के टूटने, तलाकों की संख्या बढ़ने, कार्यालयिक कार्य कुशलता घटने, बच्चों के संस्कारहीन होने, सास-सुसर का वृद्धाश्रम गमन आदि अनेक सामाजिक, आर्थिक या परिवारिक बुराइयों के बढ़ने में प्रकटतः देखा जा रहा है। दुर्भाग्य से पुरुष-प्रधान समाज और प्राचीन भारतीय संस्कृति की पुरानी परम्परा के चलते कामकाजी महिलाओं की इस दुर्दशा को सहजता से लिया जाता है। किसी भी सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं की उपरोक्त समस्याओं पर कोई सर्वेक्षण या अध्ययन नहीं करवाया गया है।

उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए समता आन्दोलन के द्वारा देश की आधी आबादी को देश-निर्माण में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली कामकाजी महिलाओं के जीवन स्तर, कार्य-कुशलता, स्वास्थ्य, सामाजिक स्तर और समानता के अधिकार में सारभूत सुधार के लिए आपसे प्रार्थना की जाती है कि एक कानून बनाकर कामकाजी महिलाओं के घरों में घरेलू कार्य के लिए एक घरेलू नौकर रखा जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके लिए निम्न प्रावधान किये जा सकते हैं:-

1. घरेलू नौकर कामकाजी महिलाओं के घर में रखा जाना कानूनन अनिवार्य होना चाहिए। नहीं रखने वालों पर दण्ड का विधान हो।
2. घरेलू नौकर का वेतन अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी के बराबर हो जो इस समय लगभग दस हजार पांच सौ रुपये है।

Handwritten signature and date: 5/1/2021



समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लॉट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website : www.samtaandolan.co.in

Email : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78688

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरडिया
महासचिव, मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 094140-95368

**प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-**

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के. झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूणडावत
मो. 9571875488

क्रमांक

(2)

दिनांक : 26.08.2020

- उपरोक्त मजदूरी/वेतन का भुगतान पचास प्रतिशत सरकार के द्वारा, पच्चीस प्रतिशत कामकाजी महिला के वेतन से कटौती करके तथा पच्चीस प्रतिशत कामकाजी महिला के पति के वेतन/व्यवसायिक आय से कटौती करके भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। जहां पति कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं करता हो वहां साठ प्रतिशत सरकार द्वारा वहन किया जाये और चालीस प्रतिशत हिस्सा काम काजी महिला के वेतन से कटौती करके दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- घरेलू नौकर के काम का समय सामान्यतया सुबह सात बजे से ग्याहर बजे तक और शाम को चार बजे से आठ बजे तक तय किया जावे। रविवार को अवकाश।
- इन घरेलू नौकरों का रिकार्ड सरकारी स्तर पर सत्यापित करके संधारित किया जाना सुनिश्चित हो।
- उपरोक्त घरेलू नौकरों की नियुक्ति निजी ठेकेदारों की मार्फत अनुबन्ध पर भी की जा सकती है। अन्य सेवाशर्तें सरकार अपने स्तर पर नियमानुसार निर्धारित कर सकती हैं।

श्रीमान यदि उपरोक्त योजना पर कार्य किया जाता है तो पूरे देश में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं निजी क्षेत्र की अनुमानित एक करोड़ कामकाजी महिलाओं की संख्या मानते हुए देश में आधे खर्चे पर एक करोड़ से अधिक अकुशल कामकारों के लिए रोजगार का निर्माण तत्काल किया जा सकता है। कामकाजी महिलाओं के जीवन-स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाकर समानता का अधिकार दिलवाने की दिशा में सशक्त प्रयास हो सकता है। टूटते परिवार बच सकते हैं, तलाकों की संख्या कम हो सकती है, पूरे परिवार को खुशहाली मिल सकती है। देश में आधी कीमत पर एक करोड़ से अधिक स्थायी रोजगारों का निर्माण करके आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया जा सकता है, कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सकता है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विस्वास है कि आप राष्ट्रनिर्माण एवं मानवीय दृष्टिकोण के साथ महिलाओं को सशक्त करने की उपरोक्त योजना के अनुसार कार्यवाही करके कामकाजी महिलाओं को "महारानीलक्ष्मीबाई महिला सशक्तिकरण योजना" का अनुपम उपहार देंगे धनराशि का प्रबन्ध भी मनरेगा योजना की राशि से किया जा सकता है, क्योंकि मनरेगा से नागरिक आरामखोर हो रहे हैं, ठेकेदार/अधिकारी या पंच/सरपंच भ्रष्ट हो रहे हैं। त्वरित सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा में अग्रिम धन्यवाद। सादर

भवदीय

(पाराशर नारायण)
अध्यक्ष

51819-52600

प्रतिलिपि:- सभी माननीय सांसदों को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।